

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
- 3- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2016

विषय-नगरीय क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं में निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाओं में निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त जारी किये जाने हेतु भविष्य में निम्न अभिलेखों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

- (1) योजनाओं की प्रथम किश्त द्वारा आहरित धनराशि के तहत कराये गये कार्यो की फोटोग्राफ्स उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किये जाय।
- (2) योजनाओं के सापेक्ष प्रथम किश्त द्वारा अवमुक्त धनराशि के तहत कराये गये कार्यो के शिलापट की फोटो उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किये जाय।
- (3) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजनाओं के सापेक्ष प्रथम किश्त द्वारा अवमुक्त धनराशि के तहत कराये गये कार्यो के संबंध में शिलापट्ट को निर्गत शासनादेश के अनुसार कराया जाय।

2- उपरोक्त आदेशों के अनुसार ही परियोजनाओं के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाय ताकि समयान्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा सकें।

भवदीय,



(उमाशंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-3131(1) / नौ-5-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ 2 - रूम्पूर सेल।

आज्ञा से,



(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।